रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड से मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा

चर्चा में क्यों?

- 27 सितंबर, 2023 को उत्तराखंड के परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके आश्रितों को स्वास्थ्य योजना के तहत असीमित कैशलेस उपचार की सुविधा देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध निदेशक के निर्देशों पर जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन लेवल 1-5 वाले कर्मचारियों, पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर को 250 रुपए प्रतिमाह, वेतन लेवल 6 वालों को 450 रुपए प्रतिमाह, वेतन लेवल 7-11 वालों को 650 रुपए प्रतिमाह और वेतन लेवल 12 के कार्मिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह अंशदान देना होगा।
- निगम से सेवानिवृत्त कार्मिक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर गोल्डन कार्ड वार्षिक अंशदान (12 माह) देकर प्राप्त कर सकते हैं।
- एकमुश्त 10 साल का अंशदान जमा कराने वाले आजीवन गोल्डन कार्ड सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
- इस संबंध में सभी मंडल प्रबंधकों को निर्देश दिये गए हैं कि गोल्डन कार्ड का फार्म भरने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों व आश्रितों का अंशदान निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/retired-roadways-employees-will-get-cashless-treatment-facility-through-golden-card